जिला प्रतापगढ़ (रा...

पत्रावली पेश हुई वकुलाय पक्षकार उपस्थित

बहस अन्तिम उभयपक्ष प्रार्थना पत्र आदेश

7 नियम 11 CPC एवं धारा 151 CPC 1908

07/09/20

सुनी गई। दौराने बहस वकील रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि धारा 251(क) RTA 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा पारीत निर्णय के विरुद्ध RTA की धारा 225 एवं 251 (क) अवणाधिकार/सीमाधिकार के अन्तर्गत पारीत आदेशों के अपीलीय प्राधिकारी राजस्व अपील प्राधिकारी में निहित है जबकि धारा 251 के तहत तहसीलदार, अथवा ग्राम पंचायत द्वारा पारीत आदेशों की अपील अवणाधिकार श्रीमान जिला कलक्टर में निहित होते है। अतः प्रार्थना पत्र 7 (11) CPC स्वीकार फरमावें तथा प्रस्तुत अपील मय स्थगन आदेश को खारीज किया जाने का आदेश प्रदान करावें।

इसी क्रम में दौराने बहस वकील अपीलार्थी/अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र O 7 R (11) CPC का जवाब प्रस्तुत करते हुए मुख्य रूप से कथन किये कि प्रस्तुत

अपील विरुद्ध आदेश अन्तर्गत धारा 251 (क) RTA स्वर की मूल धारा 251 के तहत अपीलीय अधिकार श्रीमान न्यायालय को निहित होने के आधार पर अपीलार्थी द्वारा विधिवत अपील प्रस्तुत की गई है यद्यपि रैस्पोन्डेन्ट प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 CPC के संबंध में मेरिट आधार पर प्रकरण निर्णित फरमावें।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया प्रकरण में प्रचलित विवादित धारा 251 के तहत अधिनस्थ तहसीलदार अथवा ग्राम पंचायत द्वारा जारी आदेशों के अपीलीय प्राधिकार न्यायालय हाजा में निहित है तथा धारा 251 (क) के तहत आवंटन अधिकारी द्वारा पारित निर्णय विरुद्ध अपीलीय प्राधिकार धारा 225 RTA के अनुसार राजस्व अपील प्राधिकारी में निहित होना पाया गया है। अपीलार्थी द्वारा धारा 251 RTA की अनुसरण में सहवन से प्रस्तुत की अपील अन्तर्गत वर्तमान तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है। जिससे प्रकरण के उभयपक्ष को कोई अपूर्णीय क्षति कारित नहीं हुई है।

अतः प्रस्तुत अपील में रेस्पोडेन्टगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 cpc सपठित धारा 151 cpc स्वीकार किया जाता है प्रस्तुत अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं क्षेत्राधिकार बाधित पाए जाने से इसी स्तर पर ड्रोप की जाती है तथा प्रकरण में पारित स्थगन आदेश खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)